प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 28.07.2026

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता गिरफ्तार।

आज दिनांक 28.07.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण द्वारा वादी की पुत्री से दहेज की मांग करना व मांग पूरी न होने पर मानसिक व शारीरिक रुप से प्रताड़ित कर हत्या कर देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर सुसंगत धारा- 80(2)/85 बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर दहेज मृत्यु के अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1. राजेश कुमार पुत्र बाबूराम 2. दीनदयाल पुत्र राजेश कुमार 3. वीना पत्नी राजेश कुमार समस्त निवासीगण आर्य नगर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद को थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त दीनदयाल ने बताया कि मेरी शादी करीब 03 वर्ष पूर्व हुई थी। मैं व मेरे परिवार वाले शादी के कुछ दिनों बाद से ही ससुराल वालों से शादी में दहेज कम देने को लेकर नाखुश थे तथा मैंने व मेरे घरवालों ने मेरे ससुराल वालों से 01 मोटरसाइकिल दहेज में मांगी थी जो उन लोगों के द्वारा नहीं दी गयी थी। इसी बात को लेकर मैंने व मेरे घरवालों ने मेरी पत्नी को मानसिक व शारीरिक रुप से प्रताड़ित किया जिससे गुस्से में आकर उसके द्वारा फाँसी लगा ली थी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1.राजेश कुमार (ससुर) पुत्र बाबूराम निवासी आर्य नगर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 56 वर्ष।
2.दीनदयाल (पति) पुत्र राजेश कुमार निवासी आर्य नगर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 26 वर्ष
3. वीना (सास) पत्नी राजेश कुमार निवासी आर्य नगर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 47 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त घटना के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान गांजा की तस्करी करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 04 किलो 350 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

आज दिनांक 28.07.2026 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान गांजा की तस्करी करने वाले 03 अभियुक्तगण 1. विवेक खान निवासी मयूर विहार डासना थाना मसूरी गाजियाबाद। 2. सुरेश चौधरी निवासी करहैड़ा मोहननगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद। 3. सूरज निवासी करहैड़ा मोहननगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद को थाना क्षेत्र मसूरी से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 04 किलो 350 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। उक्त बरामदगी के संबंध में थाना मसूरी पर धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तगणों ने पूछताछ के दौरान बताया कि हम लोग चोरी-छिपे दिल्ली से गांजा लेकर आते है तथा गांजा की छोटी-छोटी पुडिया बनाकर आसपास के क्षेत्रों में राह चलते लोगों को अधिक दामों पर बेच देते है तथा इन पैसों से अपने शौक पूरे करते है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–

1. विवेक खान पुत्र तनवीर अहमद निवासी मयूर विहार डासना थाना मसूरी गाजियाबाद, उम्र करीब 26 वर्ष
2. सुरेश चौधरी पुत्र मदनपाल निवासी करहैड़ा मोहननगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद, उम्र करीब 42 वर्ष।
3. सूरज पुत्र ब्रजनंदन निवासी करहैड़ा मोहननगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद, उम्र करीब 42 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से 04 किलो 350 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना मसूरी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा पूर्व में भी अभियुक्त विवेक खान के विरुद्ध थाना कविनगर पर एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम।

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा चोरी की मोटरसाइकिल के साथ अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद।

आज दिनांक 28.07.2026 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान चोरी की मोटरसाइकिल के साथ अभियुक्त चन्दन शर्मा पुत्र लीलाधर शर्मा निवासी ग्राम सभापुर थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 27 वर्ष को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से दिल्ली से चोरी की गयी 01 मोटरसाइकिल बरामद की गयी। उक्त बरामद मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में थाना ई-पुलिस स्टेशन एमवी थैफ्ट दिल्ली पर चोरी का अभियोग पंजीकृत है। उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना अंकुर विहार पर धारा 317(2)/317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मैंने यह मोटरसाइकिल करीब 7- 8 दिन पहले दिल्ली से चोरी की थी और इसे अभी तक छिपा कर रखा था। आज मैं इसे बेचने के फिराक में निकला था कि पुलिस चेकिंग में पकडा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

चन्दन शर्मा पुत्र लीलाधर शर्मा निवासी ग्राम सभापुर थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 27 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध थाना अंकुर विहार पर उपरोक्त चोरी की मोटरसाइकिल के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा ई-पुलिस स्टेशन एमवी थैफ्ट दिल्ली पर उपरोक्त मोटरसाइकिल चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 10 मोटरसाइकिल व 03 स्कूटी बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक **28.07.2026** को थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्त 1. अमित कुमार पुत्र सुरेश कुमार निवासी मदरसे के सामने ग्राम पिपलैडा थाना धौलाना जनपद हापुड़ उम्र 22 वर्ष 2. शाहरुख खान पुत्र सलीम निवासी मदरसे के पास ग्राम पिपलैडा थाना धौलाना उम्र करीब 24 वर्ष को चोरी की 10 मोटरसाइकिल व 03 स्कूटी के साथ हुनमान मन्दिर के पीछे बने खण्डर के पास से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध **धारा 317(2)/317(5) बीएनएस** के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्तों उपरोक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि साहब हम ग्राम पिपलैडा थाना धौलाना जनपद हापुड़ के रहने वाले है। हम रेकी कर अलग अलग जगहों से मोटरसाइकिल/स्कूटी चोरी की घटना करते है तथा चोरी किये गये वाहन को बेचकर मिले पैसो से खर्चा चलाते है तथा हम दोनों ने 02 दिन पहले भी काशीराम कॉलोनी मधुबन बापूधाम से अपने दो दोस्तो 1. हसरत दनकौर के पास नोयडा पता नामालूम 2 .सूफियान सम्भल पुत्र व पता नामालूम के साथ मिलकर चोरी की थी। हमसे जो 13 मोटरसाइकिल/स्कूटी बरामद हुई है इनको हम चारों ने मिलकर अलग-अलग स्थानों से चोरी किया था जिनको बेचकर हम मिले पैसो से अपने खर्चो की पूर्ति करते है। आज पुनः हम मोरटरसाइकिल चोरी करने के लिये यहाँ आये थे कि आपने हमे पकड़ लिया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1- अमित कुमार पुत्र सुरेश कुमार निवासी मदरसे के सामने ग्राम पिपलैडा थाना धौलाना जनपद हापुड़ उम्र 22 वर्ष।
2- शाहरुख खान पुत्र सलीम निवासी मदरसे के पास ग्राम पिपलैडा थाना धौलाना जनपद हापुड़ उम्र करीब 24 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्तों का अपराधिक इतिहास।

गिरफ्तार अभियुक्तों उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग थाना मधुबन बापूधाम पर पंजीकृत है तथा थाना सिहानी गेट पर 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण:-

1. मो0सा0 हीरो स्पलेन्डर प्लस रंग ब्लेक ग्रे रजिस्ट्रेशन नं0 UP 14 GC 1528 ,चैसिस नं0 MBLHAW232RHED1396 इंजन नं0 HA11E8RHE78908 संबंधित मु0अ0सं0 00224/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना मधुबन बापूधाम कमि0 गा0बाद
2. मो0सा0 हीरो स्पलेन्डर प्लस रंग काला रजि0 न0 UP 14 BF 9096 ई चैसिस न0 MBLHA10E2BHB08572 इंजन न0 HA10EFBHA72631 संबंधित मु0अ0स0 327/25 थाना सिहानी गेट कमि0 गा0बाद
3. मो0सा0 बुलेट रायल इनफील्ड बुलेट 350 रंग काला रजि0 न0 UP14GL 1658 चौसिस न0 ME3J3B5FMR2014594 इंजन न0 J3A5FMR2052981 संबंधित मु0अ0स0 225/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना मधुबन बापूधाम कमि0 गा0बाद

4. मो0सा0 हीरो स्पलेन्डर प्लस रंग ग्रे ब्लेक रजि0 न0 UP14EF6935 चैसिस न0 MBLHAW082KHK57061 इंजन न0 HA10AGKHKE3664 संबंधित मु0अ0स0 18/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना मधुबन बापूधाम कमि0 गा0बाद
5. मो0सा0 हीरो स्पलेन्डर प्लस रंग काला बिना प्लेट चैसिस न0 MBLHAW222PHF03576 रजि0 न0 UP 14 FQ 0316 इंजन न0 HA11E7PHF06826
6. होण्डा एक्टिवा रजि0 न0 UP 14 DH 7153 चैसिस न0 ME4JF507HH7257101 इंजन न0 JF50E75257127 संबंधित मु0अ0स0 176/2025 थाना सिहानीगेट
7. मो0सा0 स्पेन्डर प्लस रंग सिलवर रजि0 न0 UP 14 FN 5792 चैसिस न0 MBLHAW12XN4J16907 इंजन न0 HA11EDN4J10091
8. मो0सा0 स्पेल्डर प्लस रजि0 न0 UP 14 DW 7095 चैसिस न0-MBLHAR086JHK26587 इंजन न0 HA10AGJHK54540
9. मो0सा0 प्लसर 125 रजि0 न0 UP14CK 2414 चैसिस न0 MD2A17CZXEWG17475 इंजन न0 JEZWEG36631
10. मो0सा0 स्पेल्डर प्लस रजि0 न0 DL5SBM6533 चैसिस न0 MBLMAR078HHL35943 इंजन न0 HA10AGHHL37227
11. मो0सा0 स्पेल्डर प्लस रजि0 न0 HR26DS1387 चैसिस न0 MBLHAR080JHH20608 इंजन न0 HA10AGJHHA0246
12. मो0सा0 रजि0 UP17J4256 चैसिस न0 ME12NC01AD2060931 इंजन न0 2NC1060928
13. होन्डा एक्टिवा एमएस रजि0 UP 14BR 3037 चैसिस न0 ME4JC448DC 8920934 इंजन न0 JC44E2032023

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम।

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा फ्लैट /दुकान बुकिंग के नाम पर करोड़ो रुपये की धोखाधड़ी के मुकदमें वांछित अभियुक्तगण TATA सफारी गाड़ी सहित गिरफ्तार।

दिनांक -28.06.2026/16.07.2026 वादीगण की तहरीर के आधार पर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 384/2026 व 428/26 में पंजीकृत धोखाधड़ी के प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही करते हुए वांछित अभियुक्तगण 1. संदीप कुमार पुत्र स्व0 महेन्द्र प्रकाश गुप्ता 2. प्रवीन कुमार उर्फ पी.के. गुप्ता पुत्र स्व0 महेन्द्र प्रकाश गुप्ता 3. आर्यन गुप्ता पुत्र प्रवीन कुमार गुप्ता को दिनांक 28.07.2026 को गिरफ्तार किया गया।

उक्त मुकदमा M/s ASR Realtech Limited एवं M/s Right Earth Infra LLP की परियोजनाओं में फ्लैट/दुकान बुकिंग के नाम पर निवेशकों से करोड़ों रुपये लेकर धोखाधड़ी करने के आरोप में पंजीकृत है। विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों, बैंक खातों एवं अन्य दस्तावेजों के परीक्षण में यह तथ्य प्रकाश में आया कि निवेशकों से प्राप्त धनराशि गिरफ्तार अभियुक्तगण के बैंक खातों में भी प्राप्त हुआ है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उनकी संलिप्तता पाए जाने पर इनको गिरफ्तार किया गया।

कार्यवाही का विवरण- दिनांक 28.07.2026 को थाना नन्दग्राम पर पंजीकृत धोखाधड़ी , कूटरचना , गबन आदि से सम्बन्धित अभियोगो की विवेचनाओ मे विधिक विवेचनात्मक कार्यवाही , गिरफ्तारी / पूछताछ / साक्ष्य संकलन हेतु गठित SIT टीम मे से गिरफ्तारी टीम के अधि0 / कर्म0 द्वारा अलग अलग स्थान क्रमशः 1. संदीप कुमार पुत्र स्व.

महेन्द्र प्रकाश गुप्ता उम्र करीब 58 वर्ष निवासी – सैकेन्ड सी, मकान न0 208 नेहरुनगर थाना सिहानी गेट , गाजियाबाद 2. प्रवीन कुमार उर्फ पी.के.गुप्ता पुत्र स्व. महेन्द्र प्रकाश गुप्ता उम्र करीब 55 वर्ष निवासी – सैकेन्ड सी, मकान न0 208 नेहरुनगर थाना सिहानी गेट , गाजियाबाद 3. आर्यन गुप्ता पुत्र प्रवीन कुमार गुप्ता उर्फ पी.के.गुप्ता उम्र करीब 21 वर्ष निवासी – सैकेन्ड सी, मकान न0 208 नेहरुनगर थाना सिहानी गेट मय टाटा सफारी गाडी **रजि0न0- DL5CS 7735 के गिरफ्तार** किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

.अभियुक्तों का नाम व पता –

1. संदीप कुमार पुत्र स्व. महेन्द्र प्रकाश गुप्ता उम्र करीब 58 वर्ष निवासी – सैकेन्ड सी, मकान न0 208 नेहरुनगर थाना सिहानी गेट, गाजियाबाद

2. प्रवीन कुमार उर्फ पी.के.गुप्ता पुत्र स्व. महेन्द्र प्रकाश गुप्ता उम्र करीब 55 वर्ष निवासी – सैकेन्ड सी, मकान न0 208 नेहरुनगर थाना सिहानी गेट , गाजियाबाद

3. आर्यन गुप्ता पुत्र प्रवीन कुमार गुप्ता उर्फ पी.के.गुप्ता उम्र करीब 21 वर्ष निवासी – सैकेन्ड सी, मकान न0 208 नेहरुनगर थाना सिहानी गेट , गाजियाबाद

बरामदगी विवरण-

टाटा सफारी गाडी **रजि0न0- DL5CS 7735**

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

एसआईटी प्रभारी/निरीक्षक श्री सतराज सिंह मय एसआईटी पुलिस टीम थाना सिहानी गेट /नन्दग्राम

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा टप्पेबाजी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 27200 रूपये बरामद।

दिनांक 25.07.2027 को वादी श्री बिरबल जोशी निवासी गांव पाटमदेसर सरदारशहर जिला चूरु राजस्थान ने सूचना दी कि मै कबीर नगर गाजियाबाद से मेरठ मोड पर खडा था कि दो अज्ञात मो0सा0 सवार द्वारा वादी को रुडकी तक लिफ्ट देने के बहाने से बातों में उलझाकर धोखाधडी करके वादी का थैला जिसमें वादी के 80,000 रुपये रखे थे को उठाकर ले जाने के तहरीर प्रदान की। उक्त घटना के संबंध में तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, थाना स्तर पर टीमों का गठन कर घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरो व लोकल इनपुट की मदद से दिनांक 28.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर टप्पेबाजी करने वाले दो व्यक्तियों को पुस्ता रोड के टी-प्वाइन्ट पर मय चोरी के रुपयों सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ पर अपने जुर्म को इकबाल करते हुए बताया कि साहब हमने अपने खर्चे व नशा करने के लिए भीड भाड वाले इलाके में चले जाते है वहाँ लोगो को बातों में फसाकर उनसे सामान पैसे आदि चोरी कर लेते है। साहब गलती हो गयी है। माफ कर दो।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1. बाबू पुत्र सद्दीक निवासी ग्राम गौसपुर थाना सिकन्दराबाद जनपद बुलन्दशहर हाल निवासी किराये पर अनवार सैफी के मकान में अब्दुला गार्डन डासना थाना मंसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 40 वर्ष
2. आमिर पुत्र अली मौहम्मद निवासी म0न0 304 वीर अब्दुला हमीद कालोनी थाना विजयनगर गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

1. अभियुक्त बाबू उपरोक्त के विरूद्ध थाना नन्दग्राम पर चोरी संबंधी 01 अभियोग व थाना विजय नगर पर 02 अभियोग चोरी संबंधी व 01 अभियोग आर्म्स एक्ट कुल 04 पंजीकृत है।
2. अभियुक्त आमिर उपरोक्त के विरूद्ध थाना नन्दग्राम पर चोरी संबंधी 01 अभियोग व कविनगर पर 02 अभियोग चोरी संबंधी थाना सिहानी गेट पर 02 अभियोग चोरी संबंधी 01 अभियोग आर्म्स एक्ट संबंधी कुल 06 अभियोग पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरण-

27200/- रूपये बरामद।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद।